रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2014/आश्विन 24, 1936
No. 2110] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2014/ASVINA 24, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2656 (अ).——केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में कोटा संस्थापन से जौबनेर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिये उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री किशोर कुमार शर्मा, सक्षम प्राधिकारी, कोटा–जौबनेर पाइपलाइन परियोजना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बी–105, इन्द्रा विहार, तलवण्डी, कोटा–324005 (राजस्थान) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : उनियारा जिला : टोंक राज्य : राजस्थान

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	बिलासपुर	24	0.0792
2	श्यामपुरा	320/47	0.0588

[फा. सं. आर–31015/6/13–ओआर–II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

S.O. 2656(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products pipeline from Kota to Jobner terminal in the State of Rajasthan should be laid by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Kishore Kumar Sharma, Competent Authority, Kota–Jobner Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, B-105, Indra Vihar, Talwandi, Kota- 324005 (Rajasthan).

SCHEDULE

TEHSIL: UNIYARA **DIST:TONK** **STATE: RAJASTHAN**

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in Hectare)
1	BILASPURA	24	0.0792
2	SHYAMPURA	320/47	0.0588

[F. No. R-31015/6/13-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.